न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास– दिनेश कुमार यादव,जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या– 06/2013

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये
रामजीवन बेनीवाल
प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन)
जिला रसद कार्यालय, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. शरीफ पुत्र शमसुद्धीन जाति पठान निवासी गांव मखौली जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।
2. आमीन पठान पुत्र श्री तआबा खां जाति मुसलमान निवासी खटुमरा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।
3. मलखानसिंह पु पदमसिंह ग्राम मच्छीपुर तहसील गंगापुर जिला सवाईमाधोपुर राजस्थान
4. कुशालराम जाट निवासी डांगावास तहसील मेड़ता
5. मुरारीलाल पुत्र राजेश्वरप्रसाद निवासी एच–94 शिवाजी पार्क पंजाबी बाग नई दिल्ली ट्रक नं. एच.आर.55/एम/4569 फर्म मै0 शक्ति आयल केरियर्स नई दिल्ली
6. फर्म अग्रवाल बुल्क केरियर इण्डस्ट्रीज सवाईमाधोपुर जरिये भागीदार–
   1–श्रीमति ज्योत्साना पत्नी श्री एम.एल. गुप्ता निवासी सौरती बाजार सवाईमाधोपुर।
   2–श्री शुभम अग्रवाल पुत्र श्री एम.एल. अग्रवाल निवासी सौरती बाजार सवाईमाधोपुर
   3–श्री निखिल सोमानी पुत्र स्व0 श्री एम.के. सोमानी निवासी 3/101, आर. एच.बी. कॉलोनी, सवाईमाधोपुर
7. इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा बीकानेर बॉलिंग प्लान्ट बीकानेर।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) ।
2. अप्रार्थी संख्या 1,2 6(1,2 व 3) की ओर से वकील श्री अनिल गौड़, अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से वकील श्री अशोक वैष्णव, अप्रार्थी संख्या–4 की ओर वकील श्री डूंगरराम, अप्रार्थी संख्या 5 व 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। ।

निर्णय **दिनांक – 12/03/2020**

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा टैंकर नम्बर एच.आर. 55 एम. 4569 एवं आर.जे. 25 जी.ए. 1131, 5 भरे हुए गैस सिलेण्डर, 26 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर, एक फ्लांच जिसमें 3 पीले रंग की रबर ट्यूब मय 3 रेग्यूलेटर, 4 फ्लाच खोलने के लोहे के पाने तथा एक टुटी हुई सील को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए में (Confiscate) समपहरण करने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

Scanned by CamScanner

2. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। श्री रामजीवन बेनीवाल ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि दिनांक 30.12.2012 को वक्त 5.45 ए.एम. जरिये टेलीफोन थानाधिकारी मेड़ता शहर ने मुझे को सूचित किया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एन.एच. 89 डांगावास से आगे नागौर बाईपास के पास महादेव होटल के सामने जाने वाले कच्चे मार्ग पर झाड़ियों में गैस टैंकर खड़े है जिनसे अवैध रुप से घरेलू गैस सिलेण्डर में गैस टैंकरों से गैस निकालकर रिफलिंग की जा रही है। इस इतला के आधार पर प्रार्थी मेड़ता मय पुलिस जब्ता थानाधिकारी मेड़ता शहर श्री विक्रमसिंह सरकारी वाहन लेकर 6.15 ए.एम. पर सरहद डांगावास स्थित महादेव होटल के सामने की तरफ कच्चे रास्ते से आगे झाड़ियों में मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की।

3. वक्त जांच मौके पर दो गैस के टैंकर नम्बर एच.आर. 55 एम. 4569 एवं आर.जे. 25 जी.ए. 1131 खड़े थे। टैंकर नम्बर एच.आर. 55 एम. 4569 के गैस वाल्व के पास कुछ व्यक्ति खड़े वाल्व में रबर पाईप लगाकर घरेलू गैस सिलेण्डरों में गैस भरने का कार्य कर रहे थे एवं एक पिकअप गाड़ी पास में खड़ी थी मौके पर पहुंचते ही पुलिस जाब्ते को देखकर पिकअप चालक पीकअप लेकर मौके पर भाग गया जिसका पीछा पुलिस जाब्ते ने किया मगर वह भागने में सफल हो गया। पिकअप चालक को पुलिस जाब्ते ने पहचान कर कुशालराम जाट निवासी डांगावास होना बताया। मौके पर टैंकर के पास गैस भरने का कार्य करने वाले तीन व्यक्तियों में से दो व्यक्ति झाड़ियों में भाग गये एवं एक व्यक्ति मौके पर पकड़ा जिसने पूछने पर अपना नाम शरीफ पुत्र शमसुद्दीन जाति पठान मुसलमान उम्र 27 वर्ष गांव मखौली जिला सवाईमाधोपुर बताया तथा पुछताछ करने पर भागने वालों के नाम श्री आमीन पठान पुत्र तईबा खां जाति मुसलमान निवासी खदुपरा जिला सवाईमाधोपुर जो टैंकर नम्बर आर.जे. 25 जी.ए. 1131 का ड्राईवर होना तथा दुसरा व्यक्ति टैंकर नम्बर एच.आर. 55 एम. 4569 का ड्राईवर मलखानसिंह पुत्र पदमसिंह ग्राम मच्छीपुरा तहसील गंगापुर जिला सवाईमाधोपुर होना बताया।

4. मौके पर जांच करने पर टैंकर नम्बर एच.आर. 55 एम. 4569 के गैस भरने व निकालने के बीच वाल्व की सील तोड़कर उसकी फ्लांच हटाकर, दूसरी फ्लांच लगाई हुई पाई गई जिस पर पीले रंग की तीन रबर पाईपों से जोड़कर इन पाईपों के आगे प्रेशर रेग्यूलेटर लगाकर 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों मे गैस भरने का कार्य मौके पर पाया गया है। घरेलू गैस सिलेण्डर कम्पनी भारत गैस एस.आर नम्बर 420710–एस., भारत गैस कम्पनी का सिलेण्डर एस.आर. नम्बर 49472 तथा इण्डेन कम्पनी का 77840–ई इन सिलेण्डरों में से गैस टैंकर से गैस निकालकर गैस भरी जा रही थी, जिसे मौके पर पकड़े गये शरीफ पुत्र शमसुद्दीन जाति मुसलमान से मौके पर वाल्व बंद करवाया गया इसी व्यक्ति से गैस टैंकर के वाल्व पर लगी हुई फ्लांच को खुलवाकर टैंक की फ्लांच को वास्ते सुरक्षा लगाया गया।

5. मौके पर दोनों टैंकरों के पास भारत गैस कम्पनी के 3 भरे हुए तथा 13 खाली, इण्डेन. कम्पनी के 2 भरे हुऐ तथा इण्डेन गैस कम्पनी के 12 खाली एवं एचपीसी कम्पनी का 1 खाली सिलेण्डर इस प्रकार मौके पर 5 भरे हुए एवं 26 खाली सिलेण्डर पाये गये। एक फ्लांच जिसमें 3 पीले रंग की रबर ट्यूब मय 3 रेग्यूलेटर, 4 फ्लांच खोलने के लोहे के पाने तथा एक टुटी हुई सील एवं टैंकर नम्बर एच.आर. 55 एम, 4569 एवं आर.जे. 25 जी.ए. 1131 पाये गये। मौके पर खड़े दूसरे गैस टैंकर आर.जे. 25 जी.ए. 1131 की जांच करने पर उसके बीच के वाल्व की सील को लोहे के पाने से खोला जाना पाया गया। इस टैंकर से अपराधियों द्वारा गैस निकालने का कार्य कार्यवाही से पूर्व किया जाना प्रतीत हुआ, मौके पर टूटी हुई सील नम्बर 578725 पाई गई।

6. गैस टैंकरों के केबिन की जॉच करने पर टैंकर नम्बर एच.आर.55 एम. 4569 में इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का रिटेल इनवोईस 865 पाया गया। जिसके अनुसार बड़ोदा स्थित एल.पी. जी.–बी.पी.–DUMAD LPG TERMNINAL BARODA SAVLI ROAD BARODA (GUJRAT) से यह गैस टेंकर भरा जाकर बीकानेर बोटलिंग प्लॉट में खाली होने जा रहा था। इसके परिवहन का कार्य शक्ति सैल्स कॉरपोरेशन द्वारा किया जाना पाया गया। जिसके ड्राईवर मलखानसिंह पुत्र पदमसिंह के एल.पी.जी. परिवहन गाड़ी चलाने की पात्रता का प्रमाण पत्र इण्डेन कम्पनी द्वारा जारी किया हुआ पाया गया। दूसरे गैस टैंकर आर.जे. 25 जी.ए. 1131 की केबिन की जॉच करने पर

Scanned by CamScanner

इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का रिटेल इनवोईस नम्बर 27044093 पाया गया जो दिनांक 29.12.2012 का एलपीजी–बी.पी. अजमेर का आई.बी.पी. (Near Village Tabiji) से भरा जाना पाया गया जो बीकानेर बॉटलिंग प्लॉन्ट हेतु भेजा गया। इसके साथ मैसर्स अग्रवाल बल्क कैरियर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के नाम बिल्टी सिरियल नम्बर 763 दिनांक 29.12.2012 वाईकल नम्बर आर.जे. 25 जी. ए. 1131 पाया गया। इसके साथ श्री आमीन पुत्र श्री तईबा का ड्राईविंग लाईसेन्स नम्बर आर.जे. 25 / डी.एल.सी. / 04 / 1886 दिनांक 08.03.2004 भी तथा आमीन का इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन का परिचय पत्र एस.न. 1808 पाया गया।

7. इस प्रकार उक्त सिलेण्डरों के अतिरिक्त मौके पर आर.जे. 25 जी.ए. 1131 की मूल आर.सी. एवं अग्रवाल बल्क केरियर्स इण्डस्ट्रीज का गैस परिवहन का लाईसेन्स, मैसर्स अग्रवाल बल्क केरियर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का चालान नम्बर 763 दिनांक 29.12.2012 का एवं आईओसी चालान नम्बर 27044093 एवं चालक श्री अमीन खां का ड्राईविंग लाईसेन्स एवं आईओसी कम्पनी का परिचय पत्र, एवं गैस टैंकर नम्बर एच.आर. 55 एम. 4569 का Certificate of Registration परिवहन, मैसर्स शक्ति ऑयल कैरियर्स एन–94 / 4 शिवाजी पार्क, पंजाबी बाग नई दिल्ली का गैस परिवहन का लाईसेन्स, ड्राईवर श्री मलखानसिंह पुत्र पदमसिंह का इण्डेन कम्पनी का गाड़ी चलाने का पात्रता प्रमाण पत्र, रिटेल इनवाईस (आईओसी) नम्बर 865 दिनांक 27.12.2012 एवं चालान नम्बर 1633 दिनांक 27.12.2012 टेंकर नम्बर एच.आर. 55 एम 4569 एवं श्री शरीफ का पहचान पत्र वास्ते सबूत जब्त किया गया।

8. इस प्रकार एन.एच. 89 डांगावास से आगे नागौर बाईपास के पास महादेव होटल के सामने वाले कच्चे मार्ग पर झाड़ियों में उक्त दोनों टेंकरों के ड्राईवर एवं हैल्पर द्वारा अवैध रूप से उक्त स्थान पर टैंकरों को रोककर अवैध रूप से अनुदानित गैस को टैंकरों से निकालकर घरेलू गैस सिलेण्डरों में कालाबाजारी हेतु भरना, "लिक्वीफाईड पैट्रालियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर,– 2000 के खण्ड 3(1) (b) (c), 4(1) (a) (b) (c), 2 खण्ड, 6, खण्ड 7 (1) (a) की स्पष्ट अवहेलना हैं जो कि, 'आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955' की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने का कथन करते हुऐ मौके पर टैंकर नम्बर एच.आर. 55 एम. 4569 एवं आर. जे. 25 जी.ए. 1131, 5 भरे हुए गैस सिलेण्डर, 26 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर, एक फ्लांच जिसमें 3 पीले रंग की रबर ट्यूब मय 3 रेग्यूलेटर, 4 फ्लाच खोलने के लोहे के पाने तथा एक टुटी हुई सील वास्ते सबूत जब्त सरकार किया जाकर 5 भरे हुए गैस सिलेण्डर, 26 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर, एक फ्लांच जिसमें 3 पीले रंग की रबर ट्यूब मय 3 रेग्यूलेटर, 4 फ्लाच खोलने के लोहे के पाने तथा एक टुटी हुई सील को मैसर्स चार भुजा भारत गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री श्यामसुन्दर शर्मा को सुपुर्दगी में दिये गये एवं टैंकर नम्बर एच.आर. 55 एम. 4569 एवं आर.जे. 25 जी.ए. 1131 को गवाह श्री भारत माली, श्री निरजंन शर्मा एवं श्री श्यामसुन्दर शर्मा प्रतिनिधि मैसर्स चार भुजा भारत गैस सर्विस मेड़ता के समक्ष वास्ते सुरक्षा श्री सुरजीतसिंह, ऑपरेशन ऑफीसर इण्डियन ऑयल बॉटलिंग प्लॉट, बीछवाल बीकानेर राजस्थान को सुपुर्दगी में दिये गये।

9. वकील श्री अशोक वैष्णव ने अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से बहस में प्रार्थी की बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी घटना के स्थान पर नहीं होने से अप्रार्थी को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 मलखानसिंह घटना के दिन टेंकर एच.आर. 55 एम. 4569 का ड्राईवर नहीं था। अप्रार्थी संख्या–3 मलखानसिंह का नाम किसी व्यक्ति ने अपना बचाव के लिए व्यक्तिगत दुश्मनी से अंकित करवा दिया। किस व्यक्ति से क्या मौके पर या टेंकर से क्या पाया गया अप्रार्थी को जानकारी नहीं है और न ही इसके टेंकर नं. 25 जी.ए. 1131 के बारे में जानकारी है। अप्रार्थी न ही ड्राईवर आमीन को जानता है। टेंकर नम्बर 25 जी.ए. 1131 की मूल आर.सी. गैस परिवहन का लाईसेन्स या आमीन खां का लाईसेन्स प्राप्त किया हो की जानकारी अप्रार्थी को नहीं है। टैंकर नम्बर एच.आर.55 एम 4569 का आर.सी. या परिवहन लाईसेन्स या अप्रार्थी का गाड़ी चलाने का प्रमाण पत्र अप्रार्थी के समक्ष जब्त किये हो जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। अप्रार्थी मलखानसिंह न तो घटना वाले दिन वाहन संख्या एच.आर. 55 एम 4569 का ड्राईवर था न ही मौके पर मौजूद था इसलिए घटना स्थल पर घटना के समय कौन–कौन मौजूद था तथा क्या कार्यवाही की ज्ञात नहीं होने से अस्वीकार है तथा किसको क्या कब कैसे सुपुर्द किये अप्रार्थी संख्या 3 को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है न ही प्रार्थी मौके पर था न ही मौके से भागकर कहीं गया। प्रार्थी के आवेदन के पैरा संख्या 8 में अंकित किसी भी वस्तु से अप्रार्थी

Scanned by CamScanner

संख्या–3 का कोई भी संबंध नहीं होने से न्यायालय हाजा द्वारा कोई कुछ भी कार्यवाही करने पर अप्रार्थी संख्या–3 मलखान सिंह को कोई आपत्ति नहीं होने का कथन करते हुऐ अप्रार्थी संख्या 3 मलखानसिंह के विरूद्ध गलत की गई कार्यवाही को निरस्त करने का निवेदन किया है।

10. वकील श्री अनिल गौड़ ने अप्रार्थी संख्या 1,2 6(1,2 व 3) की ओर से बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में इसी प्रकरण से संबंधित मामला विचाराधीन है। इसलिए इस प्रकरण की कार्यवाही रोकने का निवेदन किया।

11. अप्रार्थी संख्या–7 दौराने बहस अनुपस्थित रहे है, परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत जबाब अनुसार टेंकर संख्या एच.आर. 55 एम. 4569 जो इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन डुमाड बड़ोदा से दिनांक 27.12.2012 को ड्राईवर श्री मलखानसिंह पुत्र पदमसिंह व आर.जे. 25 जी.ए. 1131 जो इण्डियन ऑयल बोटलिंग प्लांट अजमेर से दिनांक 29.12.2012 ड्राईवर अमीन द्वारा बीकानेर प्लांट में इण्डियन ऑयल बोटलिंग प्लांट बीछवाल बीकानेर में खाली करने के लिए रवाना हुऐ थे। उक्त सन्दर्भित दोनों ट्रक टेंकरों को राज्य सरकार के प्रतिनिधि द्वारा जब्ती के बाद इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन एल.पी.जी. बोटलिंग प्लांट बीछवाल बीकानेर में दिनांक 31.12.2012 को सुपुर्द करने के पश्चात इन ट्रक टैंकरों में उपलब्ध खाली करवाये जाने के पश्चात टैंकरों का वनज करने पर गैस पूरी पाई गई। दोनों टेंकरों में भरी हुई गैस कम्पनी की होने बाबत कथन करते हुए उक्त गैस को समपहरण नहीं कर कम्पनी को ही दिलाने तथा इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बीछवाल, बीकानेर के विरूद्ध जारी नोटिस निरस्त करने का निवेदन किया है।

12. प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–4 के विरूद्ध इस पत्रावली की आदेशिका दिनांक 13.02.2020 अनुसार कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है।

13. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका अनुसार NH 89 डांगावास से आगे नागौर बाई पास के पास महादेव होटल के सामने जाने वाले कच्चे मार्ग पर झाड़ियों में दो गैस टेंकर HR–55, M 4569 एवं आर. जे. 25 GA–1131 खड़े पाये गये। टेंकर नम्बर HR–55, M 4569 के गैस वाल्व के पास कुछ व्यक्ति खड़े वाल्व में रबड़ पाईप लगाकर घरेलू गैस सिलेण्डरों में गैस भरने का कार्य कर रहे थे। मौके पर टेंकर के पास गैस भरने वाले तीन व्यक्तियों में से दो भाग गये व एक व्यक्ति को पकड़ा जिसने अपना नाम शरीफ पुत्र समशुद्दीन जाति पठान होना व भागने वालो के नाम आमीन पठान पुत्र तईबा खां जो टेंकर नम्बर आर.जे. 25 GA–1131 का ड्राईवर तथा दूसरा व्यक्ति टेंकर नम्बर HR–55, M 4569 को ड्राईवर मलखान सिंह पुत्र पदमसिंह होना बताया। मौके पर टेंकर नम्बर HR–55, M 4569 वाल की सील तोड़कर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर भारत गैस SR No- 420710-S, SR No- 49472 तथा इण्डेन कम्पनी का 77840–E में टेंकर से गैस निकाल कर गैस भरी जा रही थी। मौके पर उक्त 3 भरे हुए तथा 13 खाली, इण्डेन गैस कम्पनी के 2 भरे हुए तथा 12 खाली तथा एचपी कम्पनी का 1 खाली सिलेण्डर पाये गये इस प्रकार मौके पर 5 भरे व 26 खाली सिलेण्डर पाये गये। दूसरे गैस टेंकर आर.जे. 25 जीए–1131 की जॉच करने पर उसके बीच के वाल्व की सील टूटी हुई पाई। टैंकर नम्बर HR–55, M 4569 में इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. का रिटेल इनवाई 865 पाया गया, जिसके अनुसार बड़ोदा स्थित एल.पी.जी.–बी.पी.–DUMAD LPG TERMNINAL BARODA SAVLI ROAD BARODA (GUJRAT) से यह गैस टेंकर भरा जाकर बीकानेर बोटलिंग प्लॉट में खाली होने जा रहा था। इसके परिवहन का कार्य शक्ति सैल्स कॉरपोरेशन द्वारा किया जाना पाया गया। जिसके ड्राईवर मलखानसिंह पुत्र पदमसिंह के एल.पी.जी. परिवहन गाड़ी चलाने की पात्रता का प्रमाण पत्र इण्डेन कम्पनी द्वारा जारी किया हुआ पाया गया। दूसरे गैस टैंकर आर.जे. 25 जी.ए. 1131 की केबिन की जॉच करने पर इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का रिटेल इनवोईस नम्बर 27044093 पाया गया जो दिनांक 29.12.2012 का एलपीजी–बी.पी. अजमेर का आई.बी.पी. (Near Village Tabiji) से भरा जाना पाया गया जो बीकानेर बॉटलिंग प्लॉन्ट हेतु भेजा गया। इसके साथ मैसर्स अग्रवाल बल्क कैरियर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के नाम बिल्टी सिरियल नम्बर 763 दिनांक 29.12.2012 वाईकल नम्बर आर.जे. 25 जी.ए. 1131 पाया गया। इसके साथ श्री आमीन पुत्र श्री तईबा का ड्राईविंग लाईसेन्स नम्बर आर.जे. 25/डी.एल.सी./04/1886 दिनांक 08.03.2004 भी तथा आमीन का इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन का परिचय पत्र एस.न. 1808 पाया गया। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट रूबरू मौतबिरान मौके पर तैयार की गई है, जिस पर मौतबिरान के हस्ताक्षर भी जिससे उक्त फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार की गई कार्यवाही

Scanned by CamScanner

उचित प्रतीत होती है। प्रकरण में उक्तानुसार 5 भरे हुऐ घरेलू गैस सिलेण्डर व 26 खाली घरेलू गैस सिलेण्डरों, टेंकर आर.जे. 25 जी.ए. 1131 मय गैस एवं टेंकर नम्बर HR–55, M 4569 मय गैस, 1फ्लांच, 3 पीले रंग की रबर पाईप, 3 रेग्यूलेटर, 4 लौहे के पाने व एक टूटी हुई सील को जरिये फर्द जब्ती दिनांक 30.12.12 के रूबरू मौतबिरान जब्त किया गया है। फर्द सुपुर्दगीनामा दिनांक 31.12.2012 के अनुसार उक्त जब्त सुदा टेंकर आर.जे. 25 जी.ए. 1131 मय गैस एवं टेंकर नम्बर HR–55, M 4569 मय गैस के रूबरू मौतबिर गवाह के श्री सुरजीतसिंह ऑपरेशन ऑफिसर इण्डियन ऑयल बॉटलिंग प्लॉट बीछवाल बीकानेर को सुरक्षार्थ सुपुर्दगी में दिये गये। फर्द सुपुर्दगीनामा दिनांक 30.12.2012 के अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा 1फ्लांच, 3 पीले रंग की रबर पाईप, 3 रेग्यूलेटर, 4 लौहे के पाने व एक टूटी हुई सील, 5 भरे हुऐ घरेलू गैस सिलेण्डर व 26 खाली घरेलू गैस सिलेण्डरों को रूबरू मौतबिर गवाह के श्री श्याम सुन्दर शर्मा मैनेजर श्री चारभुजा भारत गैस ऐजेन्सी मेड़तासिटी को सुरक्षार्थ सुपुर्द किया गया है। इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 13.02.2013 अनुसार उक्त जब्तशुदा दोनों टेंकरों को जमानतनामे एवं सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने तथा टेंकरों में भरी गैस इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के बोटलिंग प्लांट बीकानेर को सुपुर्द किये जाने का आदेश पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1,2 6(1,2 व 3) की ओर से वकील श्री अनिल गौड ने मौखिक बहस में केवल मात्र इसी प्रकरण के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से इस प्रकरण में कार्यवाही रोकने का निवेदन किया, परन्तु हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही रोकने के संबंध में किसी प्रकार का नियम व विधिक प्रावधान नहीं बताया इसलिए वकील श्री अनिल गौड़ का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वकील अप्रार्थी संख्या–3 ने अपनी बहस में प्रार्थी द्वारा उपरोक्तानुसार मौतबिरान के समक्ष की गई कार्यवाही के विरूद्ध कोई ठोस तथ्यात्मक कथन नहीं किया है। जबकि प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही विधि अनुसार मौके पर रूबरू मौतबिर गवाहान के समक्ष की गई है, जिस पर अविश्वास करने का कोई ठोस आधार नहीं है।

14. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में उक्तानुसार जब्तशुदा मौके पर टैंकर नम्बर एच.आर. 55 एम. 4569 एवं आर.जे. 25 जी.ए. 1131, 5 भरे हुए गैस सिलेण्डर, 26 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर, एक फ्लांच जिसमें 3 पीले रंग की रबर ट्यूब मय 3 रेग्यूलेटर, 4 फ्लाच खोलने के लोहे के पाने तथा एक टुटी हुई सील समपहरण (Confiscate) किये जाने आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्त शुदा 5 भरे हुऐ गैस सिलेण्डर मय गैस की वर्तमान बाजारू कीमत के बराबर इस आदेश की दिनांक से एक माह की कालावधि में अप्रार्थी संख्या–5 मुरारीलाल पुत्र राजेश्वरप्रसाद निवासी एच–94 शिवाजी पार्क पंजाबी बाग नई दिल्ली ट्रक नं. एच. आर.55/एम/4569 फर्म मै0 शक्ति आयल केरियर्स नई दिल्ली एवं अप्रार्थी संख्या–6 फर्म अग्रवाल बुल्क केरियर एवं इण्डस्ट्रीज सवाई माधोपुर पर जुर्माना अधिरोपित किया जाता है जो जुर्माना राशि उक्तानुसार कुल बाजारू कीमत की 1/2–1/2 प्रत्येक अर्थात अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा 1/2 एवं अप्रार्थी संख्या–6 द्वारा 1/2 जमा करवाई जावेगी एवं निर्धारित कालावधि में उक्तानुसार जुर्माना राशि जमा करवा दिये जाने पर प्रकरण में जब्त शुदा टैंकर नम्बर एच.आर. 55 एम. 4569 एवं आर.जे. 25 जी.ए. 1131 मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निर्धारित समयावधि में उक्तानुसार जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर संबंधित अप्रार्थी के टेंकर की नियमानुसार खुली नीलामी की जाकर जुर्माना राशि वसूल करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। प्रकरण में जब्तशुदा 5 भरे हुऐ घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 26 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर तथा एक फ्लांच जिसमें 3 पीले रंग की रबर ट्यूब मय 3 रेग्यूलेटर, 4 फ्लाच खोलने के लोहे के पाने तथा एक टुटी हुई का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने का जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिया जाता है। उक्तानुसार प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

15. निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, [illegible]

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 12:41:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: